



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

779538

वर्ष 2013-14
चारा 65

किस्म इस्तावेज

:- विक्रय विलेख

स्टाम्प

:- 73,500/-रु०

Ex-a-1

भूमि मूल्यांकन पेज नं० 20 क्रम संख्या 3 कम्प्यूटर कोड नं० 1049 जो भाग 2 (ख)
(I) अर्द्धनगरीय क्षेत्र पर स्थित है प्रस्तावित दर 16,00,000/-रु० सड़क के पास
होने की वजह से 0.050 हैक्टेयर पर निर्धारित दर का दो गुना से मालियत
1,60,000/-रु० है एवं 0.150 हैक्टेयर पर निर्धारित दर का डेढ़ गुना से मालियत
3,60,000/-रु० है शेष भूमि रकवा 0.316 है० की मालियत 5,06,000/-रु० है
इस प्रकार भूमिधरी मुवैया की मालियत 10,30,000/-रु० है भूमि में पक्का कुआ
बना है जिसका 1/4 भाग वय किया है मालियत 20,000/-रु० कुल मालियत
10,50,000/-रु० है।

राज पाल

Rajesh Kumar



मालिक स्वयं
कक्षा 25-03-13
कर्मचारी दफ्तर
मालिक स्वयं



दिनांक 23/9/09 उप रोकरिया, झोंपी

23 SEP

215 Microcrystalline

१५०/११० वास वास वास कावकाव
 वास वास वास वास वास वास
 वास वास वास वास वास वास

कार्यालय,
उप क्षेत्र नगर चौकी
उप नगरपालिका कार्यालय
कोशी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

779539

(2)

1. भूमिका प्रकार :- कृषि भूमि
2. ग्राम :- ग्राम खैलार परगना व तहसील झाँसी
3. सम्पत्ति का विवरण :- कुल विक्रयशुदा रकवा 0.516 है०
4. मापन की इकाई :- हैक्टेयर
5. सड़क की स्थिति :- झाँसी ललितपुर मार्ग से लगी हुई है आबादी से 200 मीटर से अधिक दूर हैं।
6. प्रतिकूल की राशि :- 10,46,500 / -रु० में से 5,46,500 / -रु० नगद व 5,00,000 / -रु० जरिये चैक नं० 110272 आई०सी०आई०सी०आई बैंक झाँसी दिनांक 23.09.2009 ई० को विक्रेता ने क्रेता से पूर्व प्राप्त कर लिया है।

राजपाल

Rajesh Kansal

उप निबन्धक, झॉसी
 नम्बर 936/10
 नाम इमामी प्रोपटी
 पता 20,000/-

936/10 20,000/-
 इमामी प्रोपटी 210 लिब्रि वार्ड पास 15
 23/9/09 23/9/09
 23/9/09 23/9/09
 23/9/09 23/9/09

विक्रय पत्र

1,046,500.00/ 1,050,000.00

5,000.00

20

5,020.00

उप 700

फीस रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

शब्द लुगभग

प्रतिफल मालियत
 श्री / श्रीमती राजेश बंसल व हैसियत प्रतिनिधि इमामी प्रॉपटी
 पुत्र / पत्नी श्री ओ पी बंसल
 पेशा व्यापार

निवासी स्थायी 687 आनन्दपुर ई एम बाईपास रोड कलकत्ता
 अस्थायी पता 808 ग्वालियर रोड झॉसी

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 23/9/2009 समय 6:24PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।



राजनाथ राम
 उप निबन्धक द्वितीय
 झॉसी
 23/9/2009

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने के निमित्त प्रोपटी धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
 श्री/श्रीमती राजपाल
 पुत्र/पत्नी श्री वाकुर दास
 पेशा कृषि
 निवासी ग्राम खैलार तह व जिला झॉसी



क्रेता
 श्री/श्रीमती राजेश बंसल व हैसियत प्रतिनिधि इमामी
 प्रॉपटी
 पुत्र/पत्नी श्री ओ पी बंसल
 पेशा व्यापार
 निवासी 687 आनन्दपुर ई एम बाईपास रोड कलकत्ता



ने निष्पादन स्वीकार किया
 जिनकी पहचान श्री बल्लू पाल
 पुत्र श्री शिवदयाल पाल
 पेशा कृषि

निवासी ग्राम बूढा तह व जिला झॉसी

य श्री परसराम
 पुत्र श्री सीताराम
 पेशा नौकरी
 निवासी ग्राम हंसारी की टपेरियन झॉसी

ने की।



प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

राजनाथ राम
 उप निबन्धक द्वितीय
 झॉसी
 23/9/2009

21/9/09
 Rajesh Bansal

विक्रेता

4227211



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

779540

(3)

7. प्रथम पक्ष की संख्या :- एक
8. द्वितीय पक्ष की संख्या :- एक
9. नाम विक्रेता (प्रथम पक्ष का विवरण):- श्री राजपाल तनय श्री ठाकुर दास
निवासी ग्राम खेलार परगना व तहसील झाँसी
10. नाम क्रेता (द्वितीय पक्ष का विवरण) :- इमामी प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
ऑफिस 687 आनन्दपुर ई0 एम0 बाईपास रोड कोलकाता पिन नं0 700107 द्वारा
श्री राजेश बंसल पुत्र श्री ओ. पी. बंसल निवासी 808 ग्वालियर रोड झाँसी (पेन
कार्ड नम्बर AABCE 8034 G)

राजपाल

Rajesh Bansal

उप कोषागार, झाँसी
 नम्बर 9362
 नाम
 पता

23 SEP 2009

23/9/09
 विक्रेता
 29/11/09

Registration No 4759

Year : 2009

Book No.

0101 राजपाल

ठाकुर दास

ग्राम खेलार तह व जिला झाँसी

कृषि



कम - 1

कम - 2

कम - 3

कम - 4

कम - 5

कम - 6

कम - 7

कम - 8



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 345563

(4)

यह विक्रय आज दिनांक 23.09.2009 ई० को श्री राजपाल तनय श्री ठाकुर दास निवासी ग्राम खैलार परगना व तहसील झाँसी (जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है) तथा इमामी प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड ऑफिस 687 आनन्दपुर ई० एम० बाईपास रोड कोलकाता पिन नं० 700107 द्वारा श्री राजेश बंसल पुत्र श्री ओ. पी. बंसल निवासी 808 ग्वालियर रोड झाँसी (जिन्हे आगे क्रेता कहा गया है) में निष्पादित किया गया है।

राजपाल

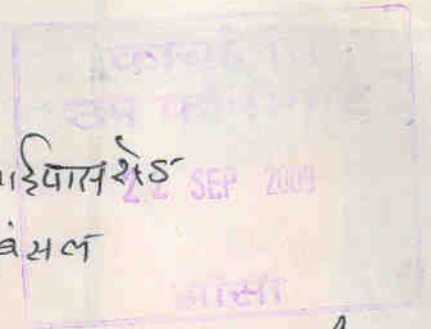


Rajesh Bansal



५८३४ ५००० पांच हजार चार सौ - केवल
२२-८-२००९

नाम: इमामा प्रॉपटीज प्रा. लि. ऑफिस 687 आनन्दपुर ई.एम. बाईपास रोड
पिता का नाम: श्री ओ.पी. वंशेल कलकत्ता 70007 ड्रा. राजेश बंसल
पता: 08, कोलकाता 70007
स्टम्प बिक्रेता: आदित्य लारायण मिश्रा
ले० नं०-113 तहसील, जौसी



क्रेता

Registration No. 4759

Year: 2009

Book No.

0201 राजेश बंसल वहेसियत प्रतिनिधि इमामा प्रॉपटी
ओ पी बंसल
687 आनन्दपुर ई एम बाईपास रोड कलकत्ता
व्यापार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 345564

(5)

विक्रय सम्पत्ति का विवरण :- उक्त आराजी मौजा खैलार ब्लाक बबीना परगना व तहसील झाँसी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

खाता सं०	आराजी नम्बर	रकबा
00180	1898	1.698 है०
	1897	0.368 है०

कुल 2 किता रकबा 2.066 है० मे से 1/4 भाग सम्पूर्ण वय किया है भूमिधरी मुवैया जिसमें खेती हो रही है किस्म जमीन राकड़ सोंयम सिंचित है एवं कृषि भूमि है। उक्त आराजी भूमिधरी का कुल लगान 10/-रु० वार्षिक है। उक्त भूमिधरी पुश्तैनी है।

उक्त आराजी भूमिधरी के बाबत यू० पी० जेड० ए० एण्ड एल० आर० एक्ट की धारा 143 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं हुई है। उक्त भूमि शुद्ध कृषिकीय भूमि है।

राजपाल

Rajesh Bansal

५४३५ २००९ पांच दशाब्द - देनाम
२३-८-२००९

इमामा प्रोपटीज प्रालिम आफिम ६८७ आनंदपुर ई एम. वाई. पालसे
कालका ७००१०७ हरि

नाम... श. ज. श. सेल
पिता का नाम... श्री. श. पी. सेल
पता... ००८ २ वालिम २१६ एम. वाई.
स्थान बिकेता-अदित्य नारायण मिश्रा
ले० नं०-११३ तहसील. झौसी

कार्यालय
उप कोषागार
२२ SEP २००९
झौसी
१६१०

कार्यालय
उप कोषागार झौसी
उप निरीक्षक उप कोषागार



(८)

गणित कुलम्ब आकृष्ट गणित नियन्त्रक कार्यालय - झरुही तहसील झरुही

है प्रकट करने झरुही तहसील है कि निर्देश १ निर्देश २

तहसील	समान निर्देश	तहसील
०६ ८८८.१	८८८	०८१००
०६ ८८८.०	८८८	

तहसील निर्देश है तहसील तहसील तहसील १११ है ०६ ८८८.१ तहसील तहसील १ तहसील

है तहसील तहसील तहसील तहसील तहसील तहसील तहसील तहसील तहसील तहसील

निर्देश निर्देश तहसील १ तहसील तहसील ०६ तहसील तहसील तहसील तहसील तहसील

तहसील तहसील तहसील तहसील तहसील तहसील तहसील तहसील तहसील तहसील

तहसील तहसील तहसील तहसील तहसील तहसील तहसील तहसील तहसील तहसील

१६ निर्देश



(6)

उक्त सम्पत्ति किसी भी प्रकार के विध्न, प्रतिबन्ध, भार एवं बाधा आदि से पूर्णतया मुक्त एवं स्वतंत्र है तथा विक्रेता इसे क्रेता को बेचने एवं हस्तांतरित करने हेतु सहमत हो चुका है। इस सम्पत्ति को विक्रय करने के लिये पूर्ण रूप से सक्षम है। विक्रेता को प्रतिफल के रूप में उपरोक्त रूपया प्राप्त हो गया है।

1. यह कि उक्त वर्णित ढंग से प्रतिफल की धनराशि प्राप्त कर लेने के पश्चात विक्रेता, क्रेता को उपरिलिखित भूखण्ड हमेशा के लिये विक्रय एवं हस्तांतरित करता है। इस सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी सुखाधिकार तथा धन प्राप्ति के अधिकार या अन्य वे सभी अधिकार, जो विक्रेता को प्राप्त थे, वे क्रेता को प्राप्त हो गये हैं।
2. यह कि उक्त सम्पत्ति को धारण एवं उपभोग करने का अधिकार क्रेता को पूर्ण स्वामी के रूप में प्राप्त होगा।
3. यह कि विक्रेता ने सम्बन्धित सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्राप्त सभी अधिकारों का त्याग क्रेता के पक्ष में करते हुए, सम्पत्ति क्रेता को सौंप दी है तथा कब्जा प्रदान कर दिया है। क्रेता अब इस सम्पत्ति को बिना किसी प्रतिबन्ध, विध्न, भार एवं बाधा रहित सम्पत्ति का पूर्ण उपभोग एक स्वामी के रूप में स्वेच्छानुसार कर सकेंगे।
4. यह कि यदि कोई व्यक्ति विक्रेता के माध्यम से सम्बन्धित सम्पत्ति के विषय में किसी प्रकार के अधिकार, उन्मुक्ति या विशेषाधिकार का दावा करता है, तो यह दावा इस विक्रय विलेख के आधार पर अवैधानिक व शून्य होगा।

राजपाल



Rajesh Bansal



2524 9000 अक्षि-अक्षि-
22-√-2000

कार्यालय
उप कोषागार

22 SEP 2009

बॉली

2913

શ્રીમતી પ્રવીણા પ્રા. લિ. શાંતિ 687 માન-વ-પ્ર-૬. દાખા. દાખા. ૨૧૫

अभिलेख 700107 2121

नाम: राजेश खेमल

पिता का नाम श्री केशव चंद

पता ४०४ २०। लिंम (रोड भूमी)

स्वयं विवेका-आदित्य नारायण मिश्र

श्रेष्ठ १०-११३ तहसील, झाँसी

(Handwritten signature)

①

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Registrar, Jharkhand Sahitya Akademi, Ranchi

किसी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने जीवन में एक ही चीज को करने के लिए तैयार हो सके।

अब निम्न तालिका द्वारा है कि प्रायः कि फलक की सम्यक्, पृष्ठ त्रिक में इस के फलक प्राप्त
तालाह जेठ प्रायः लकी, जलजलीय शिकी ताली कि की सम्यक् इस फलक है। है ताली

[illegible]



(7)

5. यह कि यदि विक्रय विलेख में किसी प्रकार की कानूनी नुक्स मिलकीयत, त्रुटि होने के कारण क्रेता को सम्बन्धित कुल सम्पत्ति अथवा उसके कुछ भाग अथवा उसके साम्पत्तिक अधिकारों से वंचित होना पड़ता है, तो विक्रेता को उस सीमा तक हानि या हानियों, जो वास्तविक रूप में होगी, की क्षतिपूर्ति अपनी तत्कालीन अन्य अस्तित्व में रहने वाली चल व अचल या दोनों सम्पत्तियों के द्वारा क्रेता वसूल करने के उत्तरदायी होंगे। इसमें विक्रेता के वारिसानों को कोई एतराज नहीं होगा।
6. यह कि विक्रेता, इस सम्पत्ति को क्रेता द्वारा धारण या उपभोग करने के सम्बन्ध में भविष्य में समय समय पर किये जाने वाले आवश्यक कार्यों का दायित्व क्रेता को हस्तांतरित करता है।
7. यदि विक्रय विलेख के पंजीकरण के पश्चात किसी प्रकार की देयता विक्रय तिथि के पूर्व की इस सम्पत्ति निकलती है अथवा किसी व्यक्ति, संस्था अथवा शासन द्वारा किसी प्रकार शुल्क, टैक्स लगान, किराया अथवा अन्य देय उस अवधि के मांगे जाते हैं, तब विक्रेता उक्त राशि को स्वयं जमा करेगा। ऐसा न करने पर क्रेता उक्त राशि को विक्रेता से अथवा उसकी और सम्पत्ति से वसूल लेवें। इसमें विक्रेता को कोई उज्र व एतराज नहीं होगा।
8. यह कि विक्रय की जाने वाली आराजी का सम्पूर्ण रकवा जो ग्राम खैलार तहसील व जिला झोंसी में स्थित है नक्शा नजरी संलग्न है।
9. यह कि विक्रेता अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है।

राजपाल



Rajesh Bansal



कार्यालय
उप कमिश्नर
नाईपामरोड
22 SEP 2008
झांसी

नाम शंजेश बेसल
पिता का नाम श्री. श्री. ०० पी. ०० बेसल
पता ४०० २ कालिया २१.५ म. ००
स्वयं विज्ञात अद्वितीय नारायण मिश्रा
ले० नं०-११३ तहसील, झाँसी

2914



[illegible]

कै निम्न सामग्री का प्रयोग करके कि कमिशनर यह तर्कनी की इस 3
कमीशनर के निम्न सामग्री का प्रयोग करके कि कमिशनर यह तर्कनी की इस 3

Sub Registrar

आलस्यं माह हि तत्कथं पुष्पम् तत् विप्रसक्तं निजं निजं किं प्रत्यक्षं कीं माह .8

। है इनका स्थान प्रकृत है तबही मैं सिंगर लाली व लालितन
। है फिर इनका के लोकात्मा लज्जितन काया लोका लज्जितन लज्जितन की हाथ ॥

॥ ईं दिन प्रभुस के गोपकनन लकीरनन कलनन नीच लकीरननन लकीरनन की हा ॥



10. यह कि यदि किसी कारण यह विक्रय विलेख सक्षम अधिकारी, न्यायालय, फोरम अथवा अन्य द्वारा निरस्त अथवा शून्य घोषित कर दिया जाता है तब क्रेता, विक्रेता से प्रतिफल को मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वसूल पाने के अधिकारी होंगे।

11. यह कि धारा से पूर्व उल्लिखित विक्रेता एवं क्रेता शब्द का वर्तमान तथा सदैव भविष्य में अर्थ जब तक कि वे प्रासंगिक रूप से विरोधी न हो विक्रेता तथा क्रेता ही होगा एवं उनमें उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, उत्तराजीवी, विधिक प्रतिनिधिपत एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे। साक्षियों की उपस्थिति में उपर्युक्त नामांकित विक्रेता विक्रय विलेख के समस्त विवरणों एवं धाराओं के प्रति विलेख में सबसे पहले दिये गये दिनांक को अपने हस्ताक्षर बनाता हूँ। उक्त फर्म ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर उपरोक्त क्रेता श्री राजेश बंसल को आराजी खरीदने हेतु अधिकृत किया है। बैनामा की खतौनी व खसरा प्रस्तुत है लिहाजा बदरुस्ती पूर्ण होस हवास के विक्रेता ने यह विक्रय विलेख तहरीर कर दिया कि समय पर काम आवै। दिनांक 30.06.2008 ई0 द्वारा संशोधित दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

राजपाल



Rajesh Bansal





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 911485

दिनांक :- 23.09.2009 ई0

प्रारूपकर्ता :- रजेश कुमार तहसील झाँसी त. झाँसी
 टाईपकर्ता :- बिकेन्द्र कुमार तहसील झाँसी बिकेन्द्र कुमार

वस्तुतः प्रलेख के निष्पादन का सत्यापन कि

श्री/श्रीमती रजेश कुमार तहसील झाँसी
 निवासी तहसील झाँसी
 के द्वारा प्रस्तुत है।

रजेश कुमार

हस्ताक्षर निष्पादक

Rajesh Kumar.



जवाब बबलू पाल डा. शिवदयाल पाल
महल बुढ़ा झाँसी

जवाब परशुराम/सीताराम
डा. हसारी की तयारीय झाँसी

तहसील झाँसी
 माह 09 अक्टूबर 2009
 दिनांक 23/9/2009 तक विधिमान्य
 से कोर्ट (झाँसी) जाया
रजेश कुमार

५४३४ ५०० बी.सि. चेन्नई

२३-२-२००९

इमामी ऑपटीज ऑफिस 607811-4 पुर्निकर का ५५५२५

नाम: राजेश बंसल
पिता का नाम: श्री. अ.पी. बंसल
पता: ४०४ जवाहर नगर रोड
स्वयं बिक्रेता-आदित्य नाथयण मिश्रा
ले० नं०-113 तहसील. झौसी

को.प.क.स. 700/07 ड्रा.

कार्यालय
उप निवागर
22 SEP 2009
झौसी



0६ २००५.२०.२५ - लांघी

तिकापल्लार

तिकापट्टा



नाम: श्री. अ.पी. बंसल
को.प.क.स. 700/07 ड्रा.
नाम: श्री. अ.पी. बंसल
को.प.क.स. 700/07 ड्रा.

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 ए ए
के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/बिक्रेता का नाम...

राज पाल आ/ओ श्री ठाकुर रास

पता...

गुम खेला जिला झारखंड

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



प्रस्तुतकर्ता बिक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

राज पाल

प्रस्तुतकर्ता/क्रेता का नाम...

राजेश बंसल आ/ओ श्री आ/ओ पी. बंसल

पता...

808 इन्डियन रोड जिला झारखंड

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



उक्त प्रपत्र निष्पादित-प्रलेख का अनिवार्य अंग माना/समझा जायेगा

निष्पादक

प्रस्तुतकर्ता बिक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

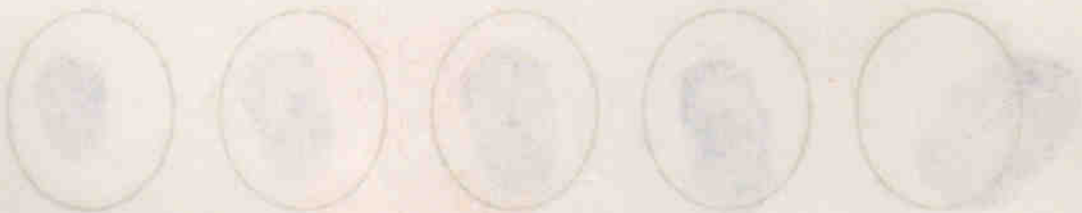
निष्पादक
Rajesh Bansal

पृष्ठ 58 आठ कि 8081 मजदूरीयों का प्रमाणित
मजदूरी कागज़ों के नमूने के

किस नाम के मजदूर का प्रमाणित किया गया है
कि वह मजदूर है जिसके नाम पर मजदूरी कागज़ों के नमूने के लिए प्रमाणित किया गया है

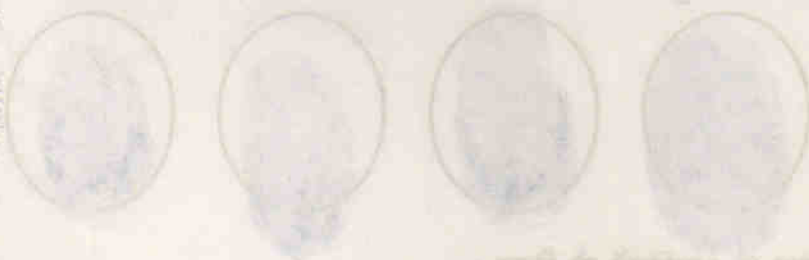


— इसकी कि मजदूरीयों के नाम पर



मजदूर के नाम पर मजदूरी कागज़ों के नमूने के लिए प्रमाणित किया गया है

किस नाम के मजदूर का प्रमाणित किया गया है
कि वह मजदूर है जिसके नाम पर मजदूरी कागज़ों के नमूने के लिए प्रमाणित किया गया है



— इसकी कि मजदूरीयों के नाम पर



मजदूर के नाम पर मजदूरी कागज़ों के नमूने के लिए प्रमाणित किया गया है

मजदूर का नाम / मजदूर के नाम पर मजदूरी कागज़ों के नमूने के लिए प्रमाणित किया गया है

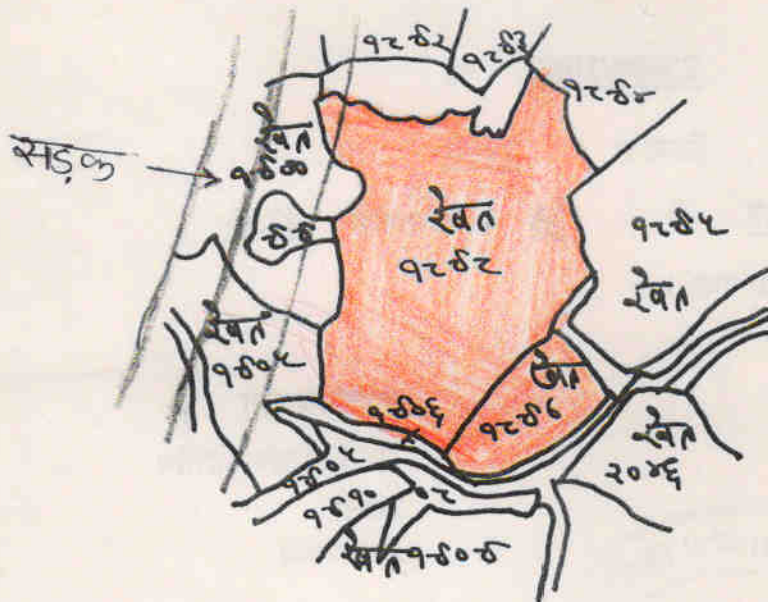
मजदूर का नाम
Suman Singh

मजदूर

नक्शा-नजरी

बिक्रेता का नाम श्री राजपाल.....
 क्रेता का नाम श्री राजेश बंसल
 मौजा रेवतार.....
 तहसील, परगना व जिला झाँसी
 भूमि नम्बर १२४०, १२४२

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित
 सम्पत्ति के विवरण का मानचित्र
 200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग)
 से प्रदर्शित है।



राजपाल



Rajesh Bansal



MOHD. KAMRAN KHAN
 DEPT. (CIVIL)
 J. D. A., BHANSI
 OFF. - 19, ALIGOLE,
 JHANSI
 L. No. 27 Date 23/1/09

हस्ताक्षर बिक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

गिज़ट-पत्रिका

जाँसी जिलाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 005

राजनाथ राम निबन्धक द्वितीय

(107 नम्बर) जाँसी जिला प्रशासकीय कार्यालय में दिनांक 005

के कार्यालय में

दिनांक 23/9/2009 को

जिला प्रशासकीय कार्यालय में

आज दिनांक 23/09/2009 को

वही सं 1 जिल्द सं 2458

पृष्ठ सं 77 से 98 पर क्रमांक 4759

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

राजनाथ राम

उप निबन्धक द्वितीय

जाँसी

23/9/2009



क्र.सं. 241
धारा - 6 क



संलग्न की जाँची